

प्रमाण पत्र

जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन0 एच0 - 509) के कि0 मी0 चैनेज 6.150 से 16.500 तक बायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु 0.6214 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग कि अनुमति के सम्बन्ध में

प्रमाणित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली - भांति परिक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख /सूचनाएं सलग्न है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(सतीश चंद्र वर्मा)
सहायक महाप्रबंधक
टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड
मुरादाबाद।

h
17/3/21
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद